

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / १७/० / 2024


दिनांक 16.08.2024

श्री आशीष बैदाड़ा (RJ01246), न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) को दिनांक 20.08.2024 से 23.08.2024 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 18.08.2024 से 19.08.2024 एवं 24.08.2024 से 26.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री बैदाड़ा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा (उदयपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/33/2019/ 6450

दिनांक 16.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 2997 दिनांक 15.07.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री आशीष बैदाड़ा (RJ01246), न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)
4. न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा (उदयपुर)


14/8/2024
सहायक रजिस्ट्रार